


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक-31.01.2019 के द्वारा व्याख्याता हिन्दी के अधिवाषिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिको के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे । उक्त आदेश में अंकित प्रमाण पत्र के बिन्दु सं. 2 में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है के स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है, पढ़ा जावे ।


आदेश की शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक-31.01.2019 के अनुसार यथावत रहेगी ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी//2019-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक- 15/03/19

- 1 निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 4 संबंधित प्रधानाचार्य/नियंत्रण अधिकारी
- 5 संबंधित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर